झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश (मानसून) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 26 आषाढ़ 1940 (श0) .... को 17 जुलाई, 2018 (ई0)
झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को संसूचित की गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
* 01	अ0सू0–23	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	मुआवजा दिलाना	खान एवं भूतत्व (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित)	12.07.2018
02	अ0सू0–30	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	स्टेडियम निर्माण	पर्यटन कला सं0	12.07.2018
03	अ0सू0–24	श्री चम्पाई सोरेन,	मुआवजा देना	वन पर्यावरण	12.07.2018
04	अ0सू0–18	श्री रामकुमार पाहन,	इंटरप्राईजेज पर कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	12.07.2018
05	अ0सू0–28	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	पर्यटन स्थल विकसित करना	पर्यटन कला सं0	12.07.2018
06	अ0सू0–25	श्री चम्पाई सोरेन,	शिक्षकों का पदस्थापन करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.07.2018
07	अ0सू0–09	श्री राधाकृष्ण किशोर,	विद्यालय पुनर्गठन सूची में संशोधन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018
08	अ0सू0–22	श्री ताला मराण्डी,	पट्टे वितरण की की जांच	वन पर्यावरण	12.07.2018
09	अ0सू0–17	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	मुआवजा देना एंव दोषियों को दंडित करना	उद्योग	10.07.2018
10	अ0सू0–26	श्री शिव शंकर उराँव,	कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	12.07.2018

कृ0पृ0उ0

* अ0 सू0-23 क्रमांक-01 खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-117, दिनांक-13-07-18 के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11	अ0सू0–34	श्री दशरथ गागराई,	जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.07.2018
12	अ0सू0–20	श्री राज कुमार यादव,	विद्यालय का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.07.2018
13	अ0सू0–33	श्री मनीष जायसवाल,	व्यख्याताओं की प्रोन्नति	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	12.07.2018
14	अ0सू0–05	श्री रबीन्द्रनाथ महतो,	हाथी कैरिडोर बनाना	वन पर्यावरण	09.07.2018
15	अ0सू0–01	श्री प्रदीप यादव,	कम्बल क्रय की उच्चस्तरीय जांच	उद्योग	07.07.2018
16	अ0सू0–07	श्री ग्लेनजोसेफ गॉलस्टन,	पर्यटकीय विकास करना	पर्यटन,कला सं0	09.07.2018
17	अ0सू0–19	श्री राज कुमार यादव,	ग्रामीणों को अधिकार देना	खान एवं भूतत्व	12.07.2018
18	अ0सू0–08	श्रीमती निर्मला देवी,	गृह जिलों में पदस्थापन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	09.07.2018
19	अ0सू0–29	डॉ0 इरफान अंसारी,	दोषियों पर कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	12.07.2018
20	अ0सू0–11	श्री प्रदीप यादव,	टेट पास का अवधि विस्तार करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018
21	अ0सू0–15	श्रीमती सीमा देवी,	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018
22	अ0सू0–32	श्री बिरंची नारायण,	पार्क का निर्माण	पर्यटन, कला सं0	12.07.2018
23	अ0सू0–03	श्री अरूप चटर्जी,	प्रदूषण पर नियंत्रण	वन पर्यावरण	09.07.2018
24	अ0सू0–13	श्री बिरंची नारायण,	आई0टी0 पार्क बनाना	सूचना प्रौद्योगिकी	10.07.2018
25	अ0सू0–31	डॉ0 इरफान अंसारी,	महिला विद्यालय खोलना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	12.07.2018
26	अ0सू0–21	श्रीमती जोबा मांझी,	आवासीय विद्यालय का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.07.2018
27	अ0सू0–16	श्री साधु चरण महतो,	स्थानीय भाषा में पढाई प्रारंभ करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018
28	अ0सू0–12	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018
29	अ0सू0–10	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा,	पद सृजित करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	10.07.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.
30	अ0सू0–04	श्री अशोक कुमार,	महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	09.07.2018
31	अ0सू0–02	श्री जगरनाथ महतो,	वृक्षारोपन कराना	वन–पर्यावरण	07.07.2018
32	अ0सू0–06	श्री अशोक कुमार,	भूमि वापस दिलाना	खान एवं भूतत्व	09.07.2018
33	अ0सू0–27	श्री शिव शंकर उराँव,	उद्योग को स्थापित करना	उद्योग	12.07.2018
34	अ0सू0–14	श्री आलमगीर आलम,	स्थानांतरण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.2018

राँची
दिनांक–17 जुलाई,2018 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–3236 / वि0स0,रांची,दिनांक–13/07/18

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/07/18
(मनोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–3236 / वि0स0,रांची,दिनांक–13/07/18

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / अपर सचिव (प्रश्न) / संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/07/18
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–3236 / वि0स0,रांची,दिनांक–13/07/18

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा / आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/07/18
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय /

14-07-18

(01)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गैरमजरूआ खास भूमि जिस पर रैयत का 70–80 वर्षों से दखल–कब्जा एवं जोत अबाद है, जिसकी सरकारी रसीद भी कटते आ रहा है और इस रसीद को सरकार द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी मानकर रैयत को हक एवं अधिकार से वंचित किया जा रहा है ;		अस्वीकारात्मक। उक्त के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.18 का अनुपालन किये जाने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को संसूचित किया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–2884, दिनांक–10.07.18 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त सहित निदेशक, भू–अर्जन–सह–भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं तकनीकी निदेशक, NIC, धुर्वा, राँची को संसूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सन्देहात्मक जमाबंदी के चलते जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन किये जाने के बाद भी सी0सी0एल0 द्वारा रैयत को नौकरी और मुआवजा देने से वंचित कर रही है ;		अस्वीकारात्मक। ऐसी कोई बात सरकार के संज्ञान में नहीं आयी है। एतद विषय में पूर्व में ही विभागीय पत्रांक–334/रा0, दिनांक–14.05.2009 द्वारा सभी उपायुक्त को निदेशित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गैरमजरूआ खास भूमि पर रैयत को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका–(1) व (2) में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 168/2018..2971..(5)/रा0 राँची, दिनांक– 16/07/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3195/वि0स0, दिनांक–12.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अपर सचिव

E:\sec3\bidhan sabha\Prashnuttar July 18.docx

(2)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पूँछित अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –30 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के माण्डर प्रखण्ड अंतर्गत सोसई आश्रम के फुटबॉल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु आधारभूत संरचना यथा चारदिवारी एवं पर्याप्त जमीन उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण से प्रखण्ड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उत्तोत्तर विकास करने, अभ्यास करने का उपयुक्त माहौल मिल सकेगा;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड माण्डर के सोसई आश्रम के फुटबॉल मैदान में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माण्डर प्रखण्ड में एक स्टेडियम विभाग द्वारा पूर्व से स्वीकृत एवं पूर्ण है तथा विभाग द्वारा सर्वप्रथम राज्य के सभी प्रखण्डों में कम से कम एक–एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। माण्डर में ही दूसरे स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भूमि विवरणी सहित जिले से प्राप्त होने पर बजटीय उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–62/2018 981 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3189/वि०स० दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(03)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत डुमरा गाँव में दिनांक–25.06.2018 सोमवार की रात करीब ढाई बजे शौच करने निकली छात्रा चिंतामणी सरदार, उम्र 18 वर्ष को जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि जंगली हाथियों के कारण क्षेत्र के ग्रामीण भयपूर्ण महौल में जीवन व्यतीत कर रहे है ;	मृतक के परिजनों को तत्काल अनुदान राशि एक लाख रूपये का भुगतान किया गया है। जंगली हाथी पर्याप्त भोजन एवं जल की तलाश में स्वाभाविक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते है। जंगली हाथियों में परम्परागत मार्गों पर विचरण करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है। परम्परागत मार्गों में व्यवधान, वनों की सघनता में कमी के कारण पर्याप्त भोजन की अनुलब्धता के कारण हाथी अपने प्राकृतिक आवागमन पथों से विचलित होते हैं, जिसके कारण मानव–हाथी टकराव में वृद्धि होती है। जंगली हाथियों से टकराव कम करने हेतु स्थानीय लोगों में जागरूकता एवं सह अस्तित्व (Co-existence) की भावना ही इसका स्थायी हल है। जंगली हाथियों से बचाव हेतु वन विभाग द्वारा Quick Response team बनाई गई है तथा स्थानीय लोगों में एहतियात बरतने के उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। जंगली हाथियों के लिए वनों में भोजन एवं पानी की उपलब्धता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे है। इनमें बाँसो का वनरोपण एवं बाँस बखारों की सफाई शामिल है। वर्ष 2017 में मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृत छात्रा के परिवार के सदस्य को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–75 / 2018–3000 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3191 दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(4)

श्री राम कुमार पाहन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–18

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखण्ड स्थित राजाउलातु सोगोद टुटीहारा क्षेत्र में M/s JPL Enterprises (Neeraj Kumar Singh) द्वारा खाता नं0–500 एवं 590 से लगभग 22 एकड भूमि फर्जी ग्राम सभा बैठक दिखाकर पत्थर उत्खनन हेतु खनन पट्टा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिसम्बर–2016 में विभाग को किया है, जिससे ग्रामीण काफी आकोशित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। M/s JPL Enterprises (Neeraj Kumar Singh) के पक्ष में दिनांक 04.08.2016 को श्री संदीप सांडिल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, राजाउलातु, प्रखण्ड–नामकुम, राँची के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर सहमति दी गई है, जिसका सत्यापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम द्वारा किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त Enterprises द्वारा बिना कार्य आदेश के उक्त जमीन की घेराबंदी संबधी कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है जिससे लगभग 200 घर एवं 1000 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत मौजा–राजाउलातु में स्वीकृत 4 (चार) पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार अभी तक नहीं सौंपा गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फर्जी तरीके से खनन पट्टा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन को रद्द करने एवं उक्त Enterprises के मालिक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू0)–05 / 2018 119 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3193 दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18
सरकार के उप सचिव

(5)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या टन–28 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत लापुंग प्रखण्ड के लतरातु पंचायत के घाघरी धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त घाघरी धाम पहाड़ में प्राचीन कालीन शिव मंदिर स्थित है जिसमें सालों भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है;		आंशिक स्वीकारात्मक यहाँ एक शिव मंदिर निर्मित है जहाँ सामान्य संख्या में श्रद्वालु जाते है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घाघरी धाम पहाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	स्थल स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल है। इस प्रकार के स्थलों के विकास हेतु जिला स्तर पर अनुशंसा करने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। इस समिति के अनुशंसा के अनुसार उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों का विकास कार्य कराया जाता है। स्वीकृत्यादेश संख्या–58, दिनांक–24.03.2018 तथा इसके आलोक में निर्गत आवंटनादेश संख्या–79, दिनांक–24.03.2018 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को ₹80.00 लाख Untied Fund उपलब्ध कराया गया है, जिससे जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय पर्यटक स्थलों का विकास कराया जा सकेगा। अतः प्रश्नाधीन स्थल का विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा एवं इसके द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 64 / 2018...970.../ राँची, दिनांक...16/07/2018.../

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3188 / वि०स०, दिनांक–12 / 07 / 2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

06

2030
16/07/2018

श्री चम्पाई सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुडरा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय में सृजित पदों के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापन नहीं होने से छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में काफी कठिनाई होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, डुडरा में 4 उच्च योग्यताधारी शिक्षक, 1 इन्टर प्रशिक्षित शिक्षक, कुल–05 नियमित शिक्षक पदस्थापित है तथा 1 उच्च योग्यताधारी पारा शिक्षक भी पदस्थापित है। उन पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा ही वर्ग 8 तक के साथ–साथ वर्ग 9 एवं वर्ग 10 में भी पठन–पाठन का कार्य किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं के लिए 5 शिक्षक और 1 पारा शिक्षक कार्यरत है तथा उच्च कक्षाओं के सभी पद रिक्त है;	वस्तुस्थिति उक्त कंडिका–2 में स्पष्ट की गयी है। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 17784 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। यह प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय में बेहतर शिक्षण हेतु स्वीकृत पद के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)-86 / 2018.....2030..... राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3201 दिनांक 12.07.2018 के संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

07

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राधाकृष्ण किशोर, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–09

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों का पुनर्गठन करने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक–361/SC, दिनांक 15.03.2018 के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व वर्षों से नियमित रूप से विद्यालय का युक्तिकरण किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1298 विद्यालयों का युक्तिकरण किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित 06 मानको के आधार पर विद्यालयों को मर्ज करने हेतु विद्यालयों की सूची राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय पुर्नगठन हेतु निर्धारित 5 मानकों के आधार पर सर्वेक्षण करके जिला द्वारा सूची तैयार की गई है जिसपर प्रखण्ड शिक्षा समिति एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त कर युक्तिकरण किया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय से पहाड़ों, नदी–नालों से घिरे विद्यालयों तथा घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालय पुनर्गठन किये जाने वाले सूची में शामिल है, परिणाम स्वरूप ऐसे प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल बंद हो जाएंगे तथा वहाँ के छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे;	वस्तुतः विद्यालय पुनर्गठन की कार्रवाई स्थलीय क्षेत्र निरीक्षण के पश्चात प्रखण्ड एवं जिला स्तर (जिला प्रारंभिक समिति) के सहमति के पश्चात पुनर्गठन किया गया है। संबंधित प्रखण्ड/जिला स्तर पर समिति का प्रतिनिधित्व काफी प्रभावी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फिल्ड वेरिफिकेशन कराकर खण्ड–3 में वर्णित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों को विद्यालय पुनर्गठन सूची से हटाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त खण्डों में पूर्ण स्थिति स्पष्ट है।

16-7-18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1186........ राँची, दिनांक .....16/07/...2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3109, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(9)

श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 की उत्तर–सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत गढ़वा विधान–सभा के ग्राम–बेलचम्पा RIADA के द्वारा 55 एकड़ जमीन वर्ष 1984 में बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को कुछ आवश्यक शर्त्तों के साथ आवंटित किया गया था।	स्वीकारात्मक। बेलचम्पा औद्योगिक क्षेत्र में सर्वश्री बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के पक्ष में प्राधिकार के पत्रांक क्रमशः 2114 दिनांक–05.11.1999 एवं 238 दिनांक–24.01.2001 के द्वारा 50.00 एकड़ एवं 3.46 एकड़ कुल–53.46 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। उक्त भूमि आवंटन आदेश एवं इकाई के साथ किये गये एकरारनामा में कतिपय शर्तों का उल्लेख किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कम्पनी के शर्तों में बंद वाहन से छाई की ढुलाई, छाई, डम्पींग के पूर्व जमीन पर मोटे प्लास्टिक का परत बिछाना, छाई डम्पीग के पश्चात् मिट्टी के मोटे परत से अच्छी तरह ढकना जिससे आस–पास के गांवों में जल प्रदूषित न हो कृषि योग्य भूमि पर असर न पड़े तथा संक्रामक बीमारी से बचाव हो सके ऐसा नहीं किया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। इस प्राधिकार के द्वारा सर्वश्री बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के पक्ष में निर्गत आवंटन आदेश एवं एकरारनामा बंद वाहन से छाई की ढुलाई, छाई डंपिंग के पूर्व जमीन पर मोटे प्लास्टिक का परत बिछाना, छाई डंपिंग के पश्चात मिट्टी के मोटे परत से अच्छी तरह ढकना इत्यादि का उल्लेख नहीं है। ऐसी शर्त्तों को अधिरोपित करने का दायित्व झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधीन है।
3.	क्या यह बात सही है खण्ड–1 तथा खण्ड–2 में वर्णित कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए छाई से ईट का निर्माण करना, सीमेंट फैक्ट्री लगाना भी तत्कालीन शर्तों में सम्मिलित है लेकिन ऐसा नहीं करके कम्पनी द्वारा शर्त्तों की धज्जियां उड़ाई गयी।	सीमेंट फैक्ट्री लगाना एकरारनामा की शर्त्तों में सम्मिलित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड एवं RIADA के बीच निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन कराने एवं शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं होने से प्रभावित गांवों बेलचम्पा, मेढ़ना, सिंदे, फरठिया आदि के लोगों को समुचित मुआवजा भुगतान करते हुए दोषी लोगों को चिन्हित कर दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं , तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सर्वश्री बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को इस प्राधिकार के द्वारा अधिरोपित शर्त्तों के अनुरूप ससमय उत्पादान कार्य प्रारंभ नहीं करने, ससमय स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन प्रारंभ नहीं करने, आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं करने, फ्लाई एश का डंपिंग करने आदि बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप समय–समय पर कारण पृच्छा की गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक :– 01/अ0सू0प्रश्न–10–04/2018 110 राँची, दिनांक: 14.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3106 दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/7/18

(10)

श्री शिवशंकर उराँव, सं0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–26

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड के संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, गोड्डा एवं साहेबगंज जिलों में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम, 1949 के तहत जनजाति समुदायों की भूमि का गैर जनजातीय सदस्यों, फर्मो एवं ईकाईयों को हस्तांतरण एवं लीज पर पट्टा देने पर प्रतिबंध है;	संथाल परगना कास्तकारी (संशोधित) अधिनियम, 1949 की धारा 13 से 18 तक में रैयतों के द्वारा अपनी रैयती भूमि का विविध उपयोग का अधिकार प्राप्त है। खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग द्वारा 6161/एम0 दिनांक 16.12.1988 के द्वारा रैयती जमीन पर खनन पट्टा की स्वीकृति/नवीकरण के दौरान रैयतों को मुआवजा के भुगतान के संबंध में नीति का निर्धारण संबंधित दिशा निर्देश प्रभावी है। (परिशिष्ट–1)
2-	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिलों में ऐसी व्यापक कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद कानून का उल्लंघन कर हजारों की संख्या में जनजातीय रैयती भूमि पर लीज पट्टे के रूप में नियम विरूद्ध अनुमति प्रदान कर गैर–कानूनी पत्थर खनन उद्योगों, कशरों आदि का संचालन किया जा रहा है;	यथा उपरोक्त।
3-	क्या यह बात सही है कि इन खदानों के पत्थर और कशरों के चिप्स राज्य की अधिकांश खनिज संपदा व भूतत्व गैर कानूनी तरीके से अन्य राज्यों को सप्लाई किए जा रहे है;	झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के नियम एवं प्रावधान के अंतर्गत खनिज परिवहन हेतु ई–परिवहन चालान (प्रपत्र– डी) में उल्लखित गन्तव्य स्थान के आलोक में खनिज का प्रेषण करने का प्रावधान है। अवैध खनिज परिवहन के विरूद्ध नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाती है।
4-	क्या यह बात सही है ऐसे गैर–कानूनी पत्थर खदानों, खनन उद्योगों और कशरों के संचालन से राज्य के राजस्व की भारी क्षति के साथ–साथ क्षेत्र में अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण के कारण इलाके के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी व्यापक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि पर्यावरणीय संबंधी मामले की अनुमति एवं अनुश्रवण झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रभावी किया गया है। पत्थर खनन पट्टा में पर्यावरणीय सहमति (EC) प्राप्त कर ही खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कशर इकाई के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सी0टी0ओ0 (Consent to Opertate) प्राप्त कर भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। लीजधारक/अनुज्ञप्तिधारक (कशर) EC/CTO में उल्लेखित शर्त एवं बंधेजों के आलोक में लीज/अनुज्ञप्ति स्थल के आस–पास पानी का छिड़काव एवं पेड़–पौधा आदि लगाने का प्रावधान है।।
5-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला में हो रहे ऐसे गैर–कानूनी कृत्यों में संलिप्त संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर समुचित कानूनी कार्रवाई हेतु व्यापक जॉच कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–08/2018 123 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3196 दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18
सरकार के उप सचिव

(11)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री दशरथ गागराई, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–34

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला में वर्ष 2015–16 में नियुक्त 53 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता पाये जाने के उपरांत इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के कतिपय नियमों के उल्लंघन होने के कारण वर्ष 2015–16 में नियुक्त शिक्षकों में 53 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी। कतिपय संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को सघन जाँच होने तक स्थगित किया गया है। यह जिला स्तरीय कैडर है एवं जिला स्तर पर जिला स्थापना (शिक्षा) समिति समक्ष प्राधिकार घोषित है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, सुरेश चन्द्र घोष ने अनियमितता बरती है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015–16 में सरायकेला–खरसावाँ जिला अंतर्गत शिक्षकों की विभिन्न गलत आधार पर की गई नियुक्ति के लिए दोषी पदाधिकारियों का चिन्हित करने हेतु त्रिसदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1189..... राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3202, दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(12)

2026
16/07/2018

श्री राजकुमार यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला का प्रखण्ड धनवार अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हित के लिए केन्द्रीय योजना के तहत ग्राम चुजंखों में उर्दू उच्च विद्यालय निर्माण के लिए जगह का चयन किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखण्ड अंतर्गत उपरोक्त ग्राम के अगल–बगल अल्पसंख्यकों की अधिकत्तम आबादी निवास करती है;	वस्तुस्थिति यह है कि अल्पसंख्यक आबादी की सूचना है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के गरीब परिवारों के छात्र छात्रायें उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण विवशता में अग्रेतर पढ़ाई नहीं कर पाते है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखण्ड के अन्तर्गत 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खिजसोता अवस्थित है। साथ ही निकट में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, बदडीहा भी संचालित है। इन विद्यालयों में छात्र–छात्राएँ पठन–पाठन करते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यकों के हित के लिए कल्याण योजनाओं के तहत चिन्हित जगह पर चालू वित्तीय वर्ष में उर्दू उच्च विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	03 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खिजसोता की सुविधा उपलब्ध है। अतः यह विषय विचारणीय नहीं है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)-84 / 2018 2026 राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3199 दिनांक 12.07.2018 के संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–33

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1996 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई थी, जिसमें लगभग 400 (चार सौ) व्याख्याता, झारखण्ड के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पदस्थापित हैं तथा व्याख्याताओं की प्रोन्नति विगत 21 वर्षों से लंबित है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–1062 एवं अधिसूचना संख्या–1063, दिनांक–11.04.2017 के द्वारा व्याख्याताओं की प्रोन्नति हेतु पत्र निर्गत की गई थी, जिसे पुनः दिनांक–07.08.2017 को बिना कोई कारण बताए उक्त अधिसूचना को विलोपित कर उक्त व्याख्याताओं की प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। विभागीय संकल्प संख्या–1062 दिनांक–11.04.2017 के द्वारा संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–16 में संशोधन करते हुए– कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत् प्रोन्नति देने संबंधी Orientation/Refresher course की अवधि दिनांक–31.12.2013 तक विस्तारित किया गया (सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर)। संकल्प ज्ञापांक–1062 दिनांक–11.04.2017 के द्वारा निर्गत किये गये संकल्प से संबंधित परिनियम को विभागीय अधिसूचना संख्या–1063 दिनांक–11.04.2017 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। समीक्षोपरांत पाया गया कि परिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1063 दिनांक–11.04.2017 को विलोपित कर दिया गया। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक–2929 दिनांक–19.12.2017 के द्वारा सभी विश्वविद्यालय, झारखण्ड एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित महाविद्यालय में पदस्थापित व्याख्याताओं की प्रोन्नति देने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	प्रोन्नति देने एवं अनुशंसा करने का मामला विश्वविद्यालय एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से संबंधित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–61/2018 1412 / राँची दिनांक– 16/07/18 /

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–3204 दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(14)

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में वर्ष–2004 से अब तक 18 लोगों का जान जंगली हाथियों द्वारा ली गयी है और अभी तक मात्र 8 लोगों को ही मुआवजा मिल पाया है ;	जामताड़ा जिला में वर्ष 2004 से अब तक 19 लोगों की जंगली हाथियों से मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 16 आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। एक 4 वर्ष के बालक की मृत्यु के पश्चात् आश्रितों द्वारा पोस्टमार्टम कराने से इनकार एवं मुआवजा का दावा नहीं करने के कारण मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। अप्रैल, 2018 से जून, 2018 के बीच मृत 02 व्यक्तियों का मुआवजा भुगतान प्रक्रियाधीन है।
(2) क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला से होकर गुजरने वाले भ्रमणशील हाथियों का कोई नियमित पथ नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जामताड़ा जिला में 2004 से अभी तक हाथियों द्वारा मारे जाने वाले सभी व्यक्तियों का समुचित मुआवजा तथा उक्त जिला में हाथियों के लिए ''हाथी कौरिडोर'' बनाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुआवजा भुगतान संबंधी सूचना कंडिका–1 में दी गई है। जामताड़ा जिले में वनभूमि काफी कम रहने एवं राजस्व भूमि ज्यादा रहने के कारण हाथी कोरिडोर बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–68 / 2018– 2996 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3083 दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार) 17/18
सरकार के उप सचिव

(15)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 की उत्तर–सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में झारकाफ्ट पर कम्बल खरीददारी में घोटाले की बात सामने आयी है; (प्रभात खबर दिनांक–03.05.2018)	कार्यालय आदेश संख्या–745 दिनांक–19.03.2018 द्वारा विस्तृत जॉच के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, रॉची की अध्यक्षता में त्रि–सदस्यीय राज्यस्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है, साथ ही कार्यालय आदेश संख्या– 1268 दिनांक– 08.05.2018 द्वारा राज्यस्तरीय जाँच दल के सहायता हेतु सात (07) जाँच दलों का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कम्बल आपूर्ति घोटाले में कम्बल झारखण्ड के बुनकरों से न बनवाकर लुधियाना से खरीदा गया था;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट करदी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारकाफ्ट के सी0 ई0 ओ0 रेणु गोपीनाथ ने तत्कालीन एम0डी0 के0 रवि कुमार पर कमिशन लेने का आरोप लगाया है।	झारकाफ्ट के अभिलेख में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कम्बल खरीद में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जाँच सी0 बी0 आई0 से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं , तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक :– 01/अ0सू0प्रश्न–10–03/2018 111 **राँची, दिनांक :** 14.07.18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2995 दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(16)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–07 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्वविख्यात इंग्लोइंडिया ग्राम है, जिसका पर्यटनीय विकास नहीं किया गया है;	1.	**अंशिक स्वीकारात्मक** मैक्लुस्कीगंज झारखण्ड में इंग्लोइंडिया ग्राम के रूप में जाना जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास कराया जा सकता है;	2.	**अस्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	मैक्लुस्कीगंज में विभाग द्वारा एक पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन JTDC द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Jharkhand Mega Tourist Circuit (Ranchi- Saraikela-Kharsawan-Purbi Singhbum Mega Circuit) के अन्तर्गत ITDC द्वारा खलारी पोंड, मैक्लुस्कीगंज पोंड तथा दुल्ली का विकास कार्य किया गया है। इस प्रकार मैक्लुस्कीगंज के पर्यटन संभावना के अनुसार इस स्थल का समुचित विकास किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक/विकास पदाधिकारी के साथ–साथ स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि (सांसद/विधायक/जिला परिषद् आदि) सदस्य हैं। यह समिति आवश्यकता के अनुसार पर्यटक स्थलों के विकास कार्य हेतु अनुशंसा करती है। इस समिति द्वारा उक्त स्थल पर अतिरिक्त कार्य का कोई अनुशंसा नहीं है। अतः प्रश्नाधीन स्थल के अतिरिक्त विकास का कार्य जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति के अनुशंसा तथा बजटीय उपबंध के आधार पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/61/2018 972 /राँची, दिनांक 16/07/2018 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3081/वि०स० दिनांक–09/07/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(17)

श्री राज कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–19

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य का कोडरमा एवं गिरिडीह जिला माइका उद्योग के लिए पुरे भारत में प्रसिद्ध रहा है, तथा कभी पूर्व में लोगों को रोजी–रोटी का रोजगार व प्रति परिवार पॉच लोगों का जीवन यापन का साधन मुहैया कराता था;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जिलों में माइका उद्योग खनन एवं फैक्टरीयॉ बंद है अभी सिर्फ माइका के छोटे–टुकड़े ढ़ीबरा गरीब बेराजगार लोग ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़कर चुनकर बिकी कर जीवन यापन करते है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश माइका के निक्षेप वन क्षेत्र में हैं। राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड खनिज विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से बंद पड़े खदानों में अवस्थित ढ़ीबरा का आकलन कर नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती प्रकिया जारी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
3-	क्या यह बाता सही है कि ढ़ीबरा माईका डाक से ऑक्सन होने के कारण तथा वाहन के धर पकड़ होने से ढ़ीबरा व्यवसाय से जुड़े गरीब बेरोजगारों का रोजगार खत्म हो गया है। इन क्षेत्रों के ग्रामीण बदहाल पलायन एवं भूखमरी का दंश क्षेल रहें है;	यथा कंडिका–2
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बंद पड़े बेन्डरों, सुरंगी, भुजूवा, पेशम आदि माईका खदानें को लीज देकर चालू कराने तथा ढ़ीबरा को लघु खनिज नियमावली में शामिल कर ग्राम सभा के जरिये ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़ने, चुनने का अधिकार देने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	माइका खनिज वृहत श्रेणी से लघु खनिज की श्रेणी में हस्तान्तरित कर देने के फलस्वरूप झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत खनन पट्टो की स्वीकृति उपायुक्त के द्वारा ई–नीलामी से बन्दोबस्त किए जाने का प्रावधान है। लघु खनिज के मामले में ग्राम सभा का अनुमोदन वांछनीय है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–06 / 2018 122 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3194 दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

(18)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती निर्मला देवी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–08

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त सात हजार शिक्षक गृह जिलों से दूर पदस्थापित कर दिये गये है जिससे इन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार जिलों के लिए अधिसूचित वांछित अहर्ता के अनुरूप आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर आवेदित जिले में की गयी है। ज्ञातव्य है कि यह जिला कैडर है। जिला का आरक्षण रोस्टर के अनुरूप रिक्त स्थान पर नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक जिला का आरक्षण रोस्टर अलग.अलग होता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के हित में उन्हें गृह जिलों में पदस्थापित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु झारखंड राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक (स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 1994 प्रभावी है। उक्त नियमावली के अनुसार वांछित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षक का अंतर जिला स्थानांतरण किया जाता है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1180..... राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3078, दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(19)

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–29

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि जामताडा जिला कें कई पहाड़ों में खनन विभाग एवं प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन कराया जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है एवं स्थानीय लोगों में भारी आकोश है;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा प्रखण्ड के जुरगुडीह पहाड़, धमना पहाड एवं नारायणपुर प्रखण्ड के बोका पहाड़ी, केन्दुआ पहाड़ी और बांस पहाड़ी में पहाड़ों का अस्तित्व अवैध खनन से समाप्ति की ओर अग्रसर है;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा प्रखण्ड मौजा गोल पहाड़ी एवं नारायणपुर प्रखण्ड के केन्दुआटांड एवं बाँसपहाड़ी में खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, जिसकी पर्यावरणीय सहमति भी प्राप्त है। धमना पहाड़, जुरगूडीह पहाड़ एवं बोका पहाड़ी में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है एवं न ही वहाँ अवैध खनन हो रहा है। मौजा बाँसपहाड़ी में अवैध खनन के आरोप में पट्टेधारी पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है तथा मांग पत्र भी दिया गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में खनन कार्य बंद है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र पहाड़ों को बचाने के दिशा में ठोस निर्णय एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:– वि0स0(अ0सू0)–09 / 2018 121 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3197 दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18
सरकार के उप सचिव

(20)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-11

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 50,666 टेट पास अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की मान्यता समाप्त हो गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र एक अहर्ता परीक्षा है, जिसकी वैद्यता 5 वर्ष है।
2.	क्या यह बात सही है कि टेट पास की मान्यता अवधि नेट की तरह नहीं रहने से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी होती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानानुसार गठित झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की वैद्यता 5 वर्ष निर्धारित की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अवलिंब टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों को नेट की तरह अवधि विस्तार देने का विचार छात्रहित में लेना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

अ.कु.सिंह 16/7/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1176.......... राँची, दिनांक ...16/07/...2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3110, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ.कु.सिंह 16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

21

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती सीमा देवी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-15

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लगभग 16 हजार शिक्षकों के रिक्त पद है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी जिससे संबंधित मामले वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है तथा कतिपय न्यायादेश भी प्राप्त हैं। इन न्यायादेशों के क्रम में कार्रवाई के अंतिमीकरण के बाद ही वास्तविक रिक्ति की गणना संभव होगी। इस तरह पूर्व की प्रक्रिया का अंतिमीकरण अद्यतन पूर्ण नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2016 में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु अब तक किसी प्रकार का विज्ञापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है;	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है। वर्षवार जेटेट उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। राज्य में जब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो वैलिड जेटेट सफल परीक्षार्थी आवेदन के लिए स्वत्रंत होंगे। जेटेट का अनिवार्य अर्हता शिक्षक बनने हेतु वर्तमान में निर्धारित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद वत्र्तमान वित्तीय वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।

अलु सिंह 16/7/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1187...... राँची, दिनांक ......16/07/...2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3113, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अलु सिंह 16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(22)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 17.07.2018 पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–32 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक– 93/खे०, दिनांक–26.04.2017 के माध्यम से सचिव, पर्यटन विभाग को बोकारो स्थित सेक्टर–1बी०, कैम्प–2, बी०एस०सिटी स्थित (तालाब) सूर्य सरोवर का जीर्णोद्धार सह तिरंगा पार्क एवं Musical Fountain निर्माण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो से प्राक्कलन प्राप्त कर जो कुल ₹2,41,72,300.00 का है, विभाग को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु भेजा है;	1.	**अंशिक स्वीकारात्मक** उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक– 93/खे०, दिनांक–26.04.2017 द्वारा प्रश्नाधीन कार्य हेतु ₹ 2,41,72,300.00 का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था जो तकनीकी अनुमोदित नहीं था। विभागीय पत्रांक–887, दिनांक–16.05.2017 द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया जिसके आलोक में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–221/खे०, दिनांक–24.08.2017 द्वारा ₹1,73,24,500.00 का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया जो सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति नहीं था।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराने से संबंधित संचिका अब तक पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पास लबित पड़ी है;	2.	**अस्वीकारात्मक** उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–221/खे०, दिनांक–24.08.2017 द्वारा ₹1,73,24,500.00 का उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन जाँच एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को भेजा गया था। जाँच के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा कई कमियाँ पायी गयी तथा नया प्राक्कलन तैयार करने का निदेश मुख्य अभियंता द्वारा भवन प्रमण्डल बोकारो दिया गया है। विभागीय पत्रांक–168, दिनांक–23.01.2018 द्वारा भी भवन प्रमण्डल बोकारो से नये' प्राक्कलन तैयार कराने का निदेश उपायुक्त, बोकारो को दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल उक्त निर्माण हेतु माँगी गई राशि आवंटित करते हुए बोकारो में सूर्य सरोवर का जीर्णोद्धार सह तिरंगा पार्क एवं Musical Fountain निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन प्रमण्डल बोकारो दिये गये निदेश अनुसार त्रुटि रहित प्राक्कलन प्राप्त होने पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभाग में उपलब्ध निधि एवं स्थल की पर्यटन संभावना के अनुसार कार्य कराने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/63/2018 971 /राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3190/वि०स०, दिनांक–12/07/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(23)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड अवस्थित MPL से वाहनो द्वारा फ्लाई ऐंश की ढुलाई बिना तिरपाल ढके तथा पानी के छिड़काव किये वैगर किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। क्षेत्रीय पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा फ्लाई ऐश की ढुलाई ढके वाहनों द्वारा की जाती है एवं टैंकरों द्वारा परिवहन पथ पर जल छिड़काव किया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित फ्लाई ऐश को ECL के बन्द पड़े खुली खदानों में प्रदूषण नियंत्रण मापदण्डों को वैगर अपनाये ही सिधे उपर से डाल दिया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार M/s. MPL द्वारा फ्लाई ऐश को ECL के बंद पड़े खुली खदानों में "Volume by Volume" विधि से डाला जाता है एवं अन्त में जब खदान भरने के करीब होता है तो उसपर 1.5 मीटर Good soil से भरकर समतलीकरण किया जाता है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित कारणों से निरसा क्षेत्र के जन–जीवन लगातार श्वास/त्वचा रोग से प्रभावित हो रहा है और पूर्णतः भूमि बंजर हो रहा है ;	इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची से प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त विषयों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–67/2018–2999 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3079 दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(24)

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दि0 17.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य भर के हजारों सॉफ्टवेयर इंजिनियर रोजगार हेतु बंगलुरू, नॉएडा, पूना, हैदराबाद और विदेशों में कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। (राँची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद इत्यादि सहित राज्य भर के अन्य शहरों से हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनीयर रोजगार हेतु बैंगलोर, नॉएडा, पूना, हैदराबाद और विदेशों में कार्यरत हैं)।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत यदि एक आईटी पार्क बनाया जाता है, तो राज्य भर के हजारों सॉफ्टवेयर इंजिनियर जो रोजगार हेतु बंगलुरू, नॉएडा, पूना, हैदराबाद और विदेशों में कार्य करने को मजबूर है, उनको झारखण्ड में ही रोजगार प्राप्त हो सकेगा और सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति हो सकेगी;	अस्वीकारात्मक। 1. (बोकारो में IT Park बनाने हेतु विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है)। 2. (विदित है कि वर्त्तमान में Connectivity (Rail, Air) एवं मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए राज्य की राजधानी के HEC Complex, Dhurwa, राँची में 170.49 एकड़ भूमि IT Park की स्थापना हेतु आवंटित की गई है। भूमि के Boundary wall का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बोकारो विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक आईटी पार्क बनाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। (सरकार के Vision के अनुरूप राज्य के सभी शहरों को समानान्तर विकास का ध्यान रखते हुए बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद एवं देवघर में STPI (Software Technology Park of India) का निर्माण किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची–4

ज्ञापांकः– 1653 राँची, दिनांकः– 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3107 दिनांक 10.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/18

(सर्वेश सिंघल)

श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-31

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब बच्चियाँ डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह जाती है, जबकि सरकार का नीतिगत निर्णय है कि प्रत्येक जिला में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी, जिससे राज्य के बालिकाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके;	राज्य के जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं है, उन जिलों में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय है। इसके अतिरिक्त राज्य के वैसे विधान सभा क्षेत्र जहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा डिग्री कॉलेज स्थापना करने का निर्णय है। जामताड़ा जिला अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त जामताड़ा संध्या महिला महाविद्यालय, जामताड़ा में पूर्व से ही छात्राओं के लिए अध्यापन की व्यवस्था है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के नारायणपुर में महिला महाविद्यालय इस वित्तीय वर्ष में खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-62/2018 1416 / रांची दिनांक- 16/07/18 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-3203 दिनांक-12.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(26)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती जोबा माँझी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–21

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुदड़ी प्रखण्ड में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण अब तक नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में बी.आर.सी. सोनुवा प्रखण्ड के अन्तर्गत चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में अविलंब झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण गुदड़ी प्रखण्ड के अन्तर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (झा. रा.भ. नि.नि.लि.)को सौंपा गया है झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा भवन निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित कर एजेंसी का चयन किया जा चुका है। भूमि के स्वरूप में उबड़–खाबड़ के कारण झा. रा.भ. नि.नि.लि. द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1188..... राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3200, दिनांक 12.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

27

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री साधुचरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–16

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि संपूर्ण झारखण्ड प्रदेश में संथाली, मुंडारी व कुरमाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है परन्तु प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में इन भाषाओं का पठन–पाठन नहीं होती है जिससे इन भाषाओं का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पा रहा है साथ ही साथ इन भाषाओं के विद्यार्थियों को विषयवस्तु को समझने में भी दिक्कत होती है;	वस्तुतः राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया एवं कुड़ुख भाषा की पढ़ाई वर्ष 2016–17 से संचालित है एवं उक्त भाषा में कक्षा 1 एवं 2 के लिए सभी विषयों की पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त भाषाओं का पठन–पाठन प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से ही कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

अवर सचिव
16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1183..... राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3114, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(28)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–12

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008–10 में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक लगाने का निर्णय ली गई थी जिसमें गिरिडीह जिला के कुल 1,975 स्कूलों में तड़ित चालक लगाई गई थी;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2008–10 में गिरिडीह जिले के 1334 विद्यालयों के भवन में तड़ित चालक लगाई गई।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित चालक का मूल्य 36,000/– प्रति पीस निर्धारित थी तथा उक्त जिला में लगाई गई कुल तड़ित चालकों की मूल्य 5,68,80,000/– थी;	वस्तुस्थिति यह है कि रुपये 36000/– प्रति पीस की दर से 1334 विद्यालयों में तड़ित चालक अधिष्ठापित किये गये।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जिला के स्कूलों में दो महीनें के अंदर लगाई गई कुल 1,580 तड़ित चालकों की चोरी हो गई जिसपर संबंधित स्कूल प्रबंधकों द्वारा या जिला के तत्कालीन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई जिससे राजस्व की काफी क्षति हुई है;	वस्तुस्थिति यह है कि कुल 1048 तड़ित चालक की चोरी कर ली गई, जिसके विरूद्ध संबंधित थानों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा चोरी की सूचना दी गई।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड-1 में वर्णित गिरिडीह सहित राज्य के सभी स्कूलों में लगाई गई तड़ित चालकों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1175.......... राँची, दिनांक ....16/07.......2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3111, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकु सिंह
16/7/18
सरकार के अवर सचिव

29

श्री (प्रो0) जय प्रकाश वर्मा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में पद सृजन का प्रावधान है;	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा–35 में सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में पद सृजन का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के स्थायी सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में 2016 तक पद सृजन किया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में अप्रैल, 2013 तक पद सृजन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थायी रूप से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार विषयवार व्याख्याताओं की घोर कमी है	सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति उनके शासी निकाय द्वारा की जाती है। यदि विषयवार व्याख्याताओं की कमी किसी महाविद्यालय में है तो प्रस्ताव शासी निकाय के द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा जा सकता है, जिसपर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार महाविद्यालयों के व्याख्याताओं का पद सृजित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1 / वि0स0–60 / 2018 1411 / रांची दिनांक– 16/07/18 /

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–3108 दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(30)

श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-04

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा में डिग्री महाविद्यालय स्वीकृत है एवं उसका भवन निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया में है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि इंटर महाविद्यालय महागामा के शासी निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित कर कुलपति, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें डिग्री कॉलेज महागामा का जबतक भवन निर्माण नहीं हो जाता है, तबतक डिग्री महाविद्यालय के पठन-पाठन का कार्य एवं संचालन इंटर महाविद्यालय महागामा में कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है;	विश्वविद्यालय से एतद् प्रस्ताव अप्राप्त है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में डिग्री कॉलेज महागामा का भवन निर्माण होने तक इंटर महाविद्यालय महागामा में डिग्री महाविद्यालय का पठन-पाठन का कार्य एवं संचालन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-58/2018...1410.../ रांची दिनांक-.....16/07/18.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-3073 दिनांक-09.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(31)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड में सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कारण सड़क किनारे लगे हजारों पेड़ काट दिये गये ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सड़क किनारे छायादार एवं फलदार वृक्षों की कमी के कारण पर्यावरण एवं जलवायु पर भी विपरित असर पड़ रहा है ;	वन विभाग द्वारा सड़क किनारे छायादार एवं फलदार वृक्षों की कमी के कारण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर विपरित असर ज्ञात करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी सड़कों के किनारे दोनों तरफ छायादार एवं फलदार वृक्षारोपण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वन विभाग द्वारा पथ तट वृक्षारोपण योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। सड़क के किनारे अवस्थित वृक्षों के पातन या Transplantation के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निदेश में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा संबंधित विभागों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार, आदि) को पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या के 2 से 10 गुणा तक पौधारोपण का निदेश दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–66 / 2018–2995 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2996 दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(32)

श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत राजमहल कोयला खनन परियोजना द्वारा CBA Act के तहत अर्जित की गई भूमि पर परियोजना प्रभावित रैयतों का पुनर्वास व विस्थापन के कारण वैसे विस्थपित परिवारों को दिये गए भू–खण्ड का आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। राजमहल खनिज समूह, ईर्स्टन कोल फील्टस लि0 के पत्रांक–163 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर राज्य प्राधिकरण के निदेशानुसार पुनर्वासित परियोजना प्रभावित परिवारों को पट्टा निर्गत किया जा रहा है।
2-	क्या यह बात सही है कि राजमहल परियोजना द्वारा वर्ष– 1981 में कोयला उत्खनन कार्य हेतु CBA Act के तहत भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसके लिये रैयतों को 15 वर्ष की अवधि का छति–पूर्ति फसल मुआवजा दिया गया था। वैसे भूमि पर काफी वर्षो पूर्व उत्खनन का कार्य भी समाप्त हो चुका है एवं लीज की अवधि वर्ष–2003 में ही समाप्त हो चुकी है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम, 1957 में किसी लीज की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है।
3-	क्या यह बात सही है कि CBA एक्ट के तहत अर्जित भूमि पर विस्थापन नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोयला खनन के पश्चात जमीन का समतलीकरण कर भूमि को पूर्व की स्थिति में लाकर राज्य सरकार को वापस किया जाना है। परन्तु राजमहल कोयला परियोजना द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। उल्लखित है कि कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लन के प्रावधानों के अंतर्गत खनन कार्य एवं खनन कार्य के उपरांत Mine Closure Plan के अंतर्गत भूमि पुनरूद्धार/समतलीकरण आदि की व्यवस्था एवं अनुश्रवण किया जाता है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य सरकार भू–विस्थापितों व भू–दाताओं को संरक्षण देते हुए CBA Act के तहत वर्ष– 1981 या उसके बाद अधिग्रहण की गई भूमि का पुनः मूल्यांकन करते हुए लीज की अवधि बढ़ाकर रैयतों को मुआवजा दिलाने अथवा लीज समाप्ति के पश्चात नियमानुसार उनकी भूमि वापस कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–04/2018 124 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3082 दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18
सरकार के उप सचिव

(33)

श्री शिवशंकर उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को सदन में उठाए जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–27 के संबंध में।

1	क्या यह बात सही है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ मोमेंटम झारखण्ड के रूप में वृहद् पैमाने पर औद्योगिक इकायों को आमंत्रित किया गया था?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में ऐसे औद्योगिक इकायों द्वारा एक लाख करोड़ से अधिक पूंजी निवश के करारों पर हस्ताक्षर किया गया था?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला औद्योगिक विकास एवं उद्योगों की प्रतिस्थापन की दृष्टि से अत्याधिक संभावनाओं वाला जिला है, किन्तु अब–तक यहाँ किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है?	अस्वीकारात्मक। उद्योग लगाने हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनियों से इस जिला के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर JIIPP-2016 को प्रावधानों तहत कार्रवाई की जाएगी।
4	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला वनोपज की दृष्टि से लाह, साल, बीज, ईमली आदि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वनोपज मौसमी होने के कारण सालों भर उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथ ही उद्योग लगाने हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनियों से इस जिला के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर JIIPP-2016 को प्रावधानों तहत कार्रवाई की जाएगी।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुमला जिला में उद्योग स्थापित कराकर क्षेत्र के लोगों को रोजी–रोजगार का अवसर देने का विचार रखती है, हाँ, तो किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की पहल हो रही है और नही तो क्यो?	यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक :– 01 / अ0सू0प्रश्न–10–05 / 2018 108 **राँची, दिनांकः** 14.07.18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3198 दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण पिछले दो वर्षो से राज्य के किसी भी जिला के शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण नहीं हो सका है।	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सितम्बर, 2017 में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के आवेदनों को निष्पादित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानांतरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव अक्टूबर 2017 में जिला शिक्षा अधीक्षक को वापस कर दिया गया है।	वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु झारखंड राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक (स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 1994 प्रभावी है, जिसके आलोक में वांछित अहर्ताधारी शिक्षकों का विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानान्तरण किये गये हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए नियमावली में संशोधन कर राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त प्राथमिक प्रस्ताव कर जरूरतमंद शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण दिसम्बर, 2018 तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उतर उपरोक्त् खण्डों में निहित है।

अक्टूबर 2018
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....1184..... राँची, दिनांक .....16/07/....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3112, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अक्टूबर 2018
सरकार के अवर सचिव

Khurshid